न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भगवानी देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 112 / 2025

निर्णय दिनांक ......10/06/25.........

भगवानी देवी पत्नी पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

—प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

—::निर्णय::—

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 239/217 खसरा सं. 954/41 तादादी 4.1476 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीनी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में संवत 2073 से 2076 रोही भाडंग तहसील तारानगर में प्रार्थीनी का नाम भगवानी देवी पत्नी पवन कुमार की जगह भुगानीदेवी पत्नी पवनकुमार गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीनी का सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र व जनआधार में सही नाम भगवानी देवी पत्नी पवन कुमार है। प्रार्थीनी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीनी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 239/217 खसरा सं. 954/41 तादादी 4.1476 हैक्ट. में प्रार्थीनी का नाम भगवानी देवी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थीनी का नाम भुगानीदेवी पत्नी पवनकुमार व भगवानी देवी पत्नी पवन कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र व जनआधार में प्रार्थीनी का नाम भगवानी देवी पत्नी पवन कुमार पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम भुगानी देवी अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा भाडंग पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर के खाता संख्या 239/217 खसरा सं. 954/41 तादादी 4.1476 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम **भुगानीदेवी Delete** कर इसके स्थान पर **भगवानी देवी** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखे जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......10/6/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर (चूरू)